

## क्या मैं WA में एनडीआईएस (NDIS) के लिए योग्य पात्र हूँ?

पश्चिमी (वेस्टर्न) ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना (National Disability Insurance Scheme - NDIS) विकलांग लोगों को उन सहायताओं को प्राप्त करने में मदद करती है जो उनकी निजी जरूरतों के अनुरूप हैं। इस योजना को WA में स्थानीय स्तर पर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज-डिसेबिलिटी सर्विसेज (पहले इसका नाम 'डिसेबिलिटी सर्विसेज कमीशन' था) द्वारा संचालित किया जाता है।

एक स्थानीय संयोजक (कोऑर्डिनेटर) सहायता के लिए योग्य व्यक्तियों और उनके परिवार या देखभालकर्ताओं की सहायता करेगा। स्थानीय संयोजक सहायता योजना बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करेगा और इस योजना में ऐसी सहायताओं को शामिल किया जाएगा जिनकी आपको अब और भविष्य में जरूरत होगी। वह स्थानीय समुदाय की, सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय स्तर के मुख्य सेवा प्रदाताओं की उन सेवाओं से जुड़ने में आपकी सहायता करेगा जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद देंगी। आम तौर पर आपकी योजना पर हर साल, या आपके लक्ष्यों और जरूरतों के बदल जाने पर पुनर्विचार किया जाता है।

WA में आपको या जिस व्यक्ति की आप सहायता कर रहे हैं, उसे आयु, यहाँ का निवासी होने और विकलांगता या प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

WA में, NDIS में पहली बार शामिल होने की पात्रता के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है:

- ✓ पात्रता के लिए अनुरोध करने के समय आपकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए
- ✓ आप ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, या आपके पास स्थाई रूप से यहाँ रहने का वीजा (पर्मानेंट रेजिडेंसी वीजा) है या आपके पास प्रोटेक्टेड स्पेशियल कैटेगरी वीजा (सब-क्लास 444 - केवल न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिए) है
- ✓ आप स्थाई रूप से ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ NDIS की सेवाएँ उपलब्ध हैं ( आप <http://www.disability.wa.gov.au/wa-ndis/wa-ndis/> पर जाकर NDIS के कार्य क्षेत्रों को जान सकते हैं)
- ✓ एक चिकित्सीय (मेडिकल) रिपोर्ट जो विकलांगता या स्थायी दुर्बलता का प्रमाण हो और आपके दैनिक जीवन के कार्यों को करने पर उसके प्रभाव की पुष्टि करती हो।

8 साल से कम उम्र के बच्चे भी प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। प्रारंभिक हस्तक्षेप और पात्रता की आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया

<http://www.disability.wa.gov.au/wa-ndis/wa-ndis/> पर जाएँ या अपने स्थानीय समन्वयन (Coordination) कार्यालय से संपर्क करें।

यदि आप पूर्णतया आश्वस्त नहीं हैं कि आप पात्रता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं तो अपने स्थानीय समन्वयन कार्यालय से संपर्क करें या आप WA की NDIS योजना के बारे में सामान्य जानकारी के लिए ऑटिज़्म एसोसिएशन को 08 9489 8900 पर फोन कर सकते हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज (डिसेबिलिटी सर्विसेज) द्वारा समर्थित